

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जानेवाला जाति माण - पत्र

जाति प्रमाण - पत्र - प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी ----- आत्मज / जा-----
-----ग्राम / शहर----- जिला / विभाग-----राज्य /
संघ क्षेत्र----- जाति / जनजाति का है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में
निम्नांकित के अधीन मान्य है।

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950.
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950.
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघराज्य) आदेश 1951.
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघराज्य) आदेश 1951.

(अनुसूचित जाति व जनजाति जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्ग
ठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1980, उत्तर पूर्वी प्रदेश (पुनर्गठन) अधिनियम 1971, और
अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के संशोधन के अनुसार)

- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956.
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजातियों आदेश 1989.
- * संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959.
- * संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962.
- * संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962.
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964.
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967.
- * संविधान (गोआ दामन व दैयू) अनुसूचित जाति आदेश 1968.
- * संविधान (गोआ दामन व दैयू) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968.
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970.
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978.
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978.

2) यह प्रमाण पत्र श्री / श्रीमती श्री / श्रीमती
..... के माता / पिता को जिले / राज्य विभाग / संघीय क्षेत्र
..... में प्रदत्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आधार पर प्रदत्त है
जो.....जाति जनजाति का है और वह राज्य / संघक्षेत्रमें
.....से (निर्धारित अधिकारी का नाम दें) प्रदत्त पत्र के द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3) श्री / श्रीमती / कुमारी और उसका परिवार साधारणतः राज्य / संघक्षेत्र के जिले / प्रांत के गांव / शहर में निवास करता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय मुहर सहित)

स्थान

दिनांक राज्य / संघराज्य क्षेत्र

(अनुपयुक्त शब्दों को छोड़ दें)

ध्यान दें : साधारणतः निवास के लिए प्रयुक्त शब्दावली का वही अर्थ होगा जो उन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूचिः

- (1) जिला न्यायाधीश / अपर जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/उप आयुक्त / अपर उप आयुक्त / उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टैपेंडरी न्यायाधीश / उप मंडल न्यायाधीश / तालुका न्यायाधीश / कार्यकारी न्यायाधीश / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टैपेंडरी न्यायाधीश रैंक से कम नहीं)
- (2) मुख्य महाप्रांत न्यायाधीश/अपर मुख्य महाप्रांत न्यायाधीश/महाप्रांत न्यायाधीश
- (3) तहसीलदार रैंक से कम न रहनेवाले राजस्व अधिकारी
- (4) क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्था या उसके परिवार रहता हो।
- (5) राजस्व प्रभागीय अधिकारी - तमिल नाडु के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए।